BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 14 नम्बर 2023 **थाना कोतवाली नगर**

अमित की हत्या में संलिप्त प्रेमिका व उसका पति गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से आलाकत्ल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.11.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत नया गाँव धमैडा अडे के पास कुढे के ढेर मे दबा हुआ अमित पुत्र मेघराज सिंह निवासी ग्राम नया गांव थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर का शव मिला था। जिसके संबंध में मृतक के पिता की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 992/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में विवचेना/छानबीन में अभियुक्त 1. जितेन्द्र उर्फ जीतू लोधा पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नया गाव धमैडा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर, 2. सीमा उर्फ शमा पत्नी जितन्द्र उर्फ जीतू लोधा उपरोक्त के नाम प्रकाश मे आये। आज दिनाँक 14.11.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू व सीमा उर्फ शमा को ततारपुर रोड पीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के निशादेही पर खून मे सने कपडे व घटना मे प्रयुक्त ईट को उनके घर से बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- जितेन्द्र उर्फ जीतू लोधा पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नया गाव धमैडा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2- सीमा उर्फ शमा पत्नी जितन्द्र उर्फ जीतू लोधा निवासी उपरोक्त ।

बरामदगी-

1- 01 आलाकत्ल ईट

2- खून से सने हुए कपडे (आरोपियों के)

3- मृतक के अधजले कपड़े

हत्या का कारण- गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू ने पूछताछ पर बताया कि वह दिल्ली मे हल्दीराम कम्पनी मे हलवाई का काम करता है। दिनाँक 25.10.2023 को वह दिल्ली से घर वापस आया हुआ था। उसने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लिया तथा उसकी पत्नी ने उसे देखकर फोन काट दिया व नम्बर डिलीट कर दिया जिससे उन दोनो मे विवाद रहने लगा। अभियुक्त जितेन्द्र ने अपनी पत्नी को विश्वास मे लेकर पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि मृतक अमित उपरोक्त की मोबाइल की दुकान पर रीचार्ज करने एंव दिल्ली से अमित के मोबाइल पर रुपये डालने के दौरान अमित से दो माह पूर्व प्रेम सम्बन्ध हो गये थे तब दोनो ने मिलकर अमित को मारने की योजना बनायी। योजनानुसार सीमा उपरोक्त ने दिनाँक 08.11.2023 को अमित की दुकान से नया सिम खरीदा तथा दिनाँक 09.11.2023 की रात्रि मे अमित को अपने घर बुलाया तथा एक कमरे मे चारपाई पर बैठा दिया इसी दौरान सीमा ने अमित के हाथ पकड लिये तथा जितेन्द्र ने मौका पाकर बर्फ काटने वाले सूजा से अमित की गर्दन पर वार कर दिया तथा पास मे रखी ईट से सर पर वार किये गये जिससे अमित मृत्यु हो गयी। दोनो मिलकर अमित की लाश को चादर मे लेपेट कर पास मे ही कुडे के ढेर में छिपा दिया। उसके बाद अमित के पहने हुए कपड़ो को बच्चों वाले मरघट/तालाब के किनारे जे जाकर जला दिया एवं अमित का सिम तोडकर भटटे के पास फेक दिया तथा अमित का मोबाइल ततारपुर रोड पर स्थित तलाब मे फेक दिया । दोनो ने आलाकत्ल ईट व खून से सने कपडो को व बेडशीट को तकिये के कवर मे रखकर अपने निर्माणाधीन मकान के जीने के नीचे छिपा दिया तथा सूजा को पानी मे धोकर स्याना रोड पर फेक दिया। आलाकत्ल ईट व मृतक के अधजले कपड़े व दोनो के खून से सने हुए कपड़ो को अभियुक्तो की निशादेही पर बरामद किया गया है । उल्लेखनीय है कि जितेन्द्र उर्फ जीतू व सीमा उर्फ शमा वर्ष-2011 मे सीमा के दादा व दादी के दौहरे हत्याकांड मे भी जेल जा चुके है।

गिरफ्तार जितेन्द्र उर्फ जीतू व सीमा उर्फ शमा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 907/11 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली नगर जपनद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 992/23 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री वीरेन्द्र सिंह कार्यवाहक प्रभारी थाना कोतवाली नगर
2. हे0का0 मोहित,म0का0 गुड्डी

मीडिया सेल बुलंदशहर